कैलाश प्रसाद यादव एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

2 मई, 2007

[एस.बी.सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे.जे.]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, धारा 3 & 6ए (1) (सी):

एफ.सी.आई से संबंधित गेंहू ले जाने वाला वाहन- अधिग्रहित करने का आदेश- राज्य का आरोप है कि वाहन मालिकों ने 2001 के आदेश के तहत नियुक्त उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता को उकसाया- प्रतिपादितः 2001 का आदेश गेंहू या उसके परिवहन से संबंधित नहीं है- इसमें वाहन की तलाशी का कोई प्रावधान नहीं है- अधिनियम की धारा 3 के तहत पारित किए गए उल्लंघन के संबंध में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं है, अधिग्रहण का आदेश आवश्यक नहीं है- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001

याचिकाकर्ताओं के पास एक ट्रक था। ट्रक को खाद्यान्न के परिवहन के लिए किराये पर लिया गया था। अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गयी थी तब कथित रूप से उक्त ट्रक भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व के गेंहू ले जा रहा था, जिसके बाद उपायुक्त द्वारा अधिग्रहण का आदेश

पारित किया गया। सत्र न्यायालय द्वारा इसके खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका को भी खारिज कर दिया गया।

इस न्यायालय में अपीलकर्त्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि गेंहू एक अनियंत्रित वस्तु है और गेंहू का व्यापार परिवहन अथवा आदिपत्य नियंत्रित नहीं है।

दूसरी और राज्य ने यह तर्क दिया कि अपीलकर्त्ताओं ने एक उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता को उकसाया था जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के तहत नियुक्त किया गया था, अधिग्रहण आदेश को गलत नहीं कहा जा सकता।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने प्रतिपादित कियाः

1. सामान तथा उसका परिवहन करने वाले साधन को अधिग्रहित करना संपत्ति से वंचित करने के समान है। एक आवश्यक वस्तु अथवा उसका परिवहन करने वाले वाहन या साधन की अधिग्रहण की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन किया जाता है। जब किसी वाहन का प्रयोग एक आवश्यक वस्तु के परिवहन के लिए किया जाता है तो उसे अभिग्रहित किया जा सकता है तथा अधिनियम की धारा 6ए(1)(सी) में अधिग्रहित करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। अतः अधिनियम की धारा 3

के तहत पारित आदेश का उल्लंघन किया जाना अधिग्रहण आदेश पारित करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। [मद 5] [1152-जी-एच]

2. सन् 2001 का आदेश गेंहू या गेंहू के परिवहन के मामलों से संबंधित नहीं है। सन् 2001 के आदेश के खण्ड 2क में "उचित मूल्य की दुकान को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि एक दुकान, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तु वितरित किए जाने हेतु अधिनियम की धारा 3 के तहत अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है। आदेश के खण्ड 9 में दंड का प्रावधान है। वाहन की तलाशी का कोई प्रावधान नहीं है। तलाशी की शक्ति उचित मूल्य की दुकान या इसके लिए प्रासंगिक किसी भी परिसर तक सीमित है। ऐसे प्राधिकृत अधिकारी की शक्ति आदेश 2001 के खण्ड 10 (3) के तहत लेखा पुस्तकों या आवश्यक वस्तुओं के भण्डार की तलाशी लेने अधिग्रहित करने या हटाने तक सीमित है, जहां ऐसे प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण हो कि इनका उपयोग आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया है या किया जाएगा। [मद 6]

3. अधिग्रहण का आदेश पारित करने के लिए एक वैध अभिग्रहण अनिवार्य है। दुर्भाग्य से, मामले के इस पहलू पर किसी भी अधिकारी या अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया है। [मद 7 एवं 8] [1153-एफ-जी]

4. इसके अलावा, अधिग्रहण का आदेश केवल इसलिए पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना वैध होगा। अधिकारियों को इस

संबंध में एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि अधिनियम की धारा 3 के तहत उल्लंघन किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों पर न तो उपायुक्त व सत्र न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है। मामला आपराधिक न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए मामले पर आगे विस्तार से विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए यह एक उपयुक्त मामला नहीं था जिसमें अधिग्रहण का आदेश पारित किया जा सकता था। [मद 10] [1154-बी-डी]

शंभू दयाल अग्रवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य [1990] 3 एससीसी 549 तथा उपायुक्त, दक्षिण कन्नड़ जिला बनाम रूडोल्फ फर्नाडीस [2000] 3 एससीसी 306 को रैफर किया गया।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 659/2007

उच्च न्यायालय रांची, झारखंड के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 02.05.2006 से रिट याचिका (सीआरएल) सं. 150/2005

अपीलार्थी की ओर से श्री एच.एल अग्रवाल और गौरव अग्रवाल

प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री बी.बी. सिन्हा और कुमार राजेश

निर्णय न्यायाधीश एस.बी. सिन्हा द्वारा पारित किया गया

1. अनुमति दी गयी।

2. अपीलकर्त्ता एक ट्रक के मालिक थे। उक्त ट्रक को कैलाशचंद साहू द्वारा खाद्यान्न के परिवहन के लिए किराये पर लिया गया था। ट्रक कथित तौर पर भारतीय खाद्य निगम के गेंहू ले जा रहा था। एक अभिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गयी। उपायुक्त, साहिबगंज द्वारा अभिग्रहण आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्घ प्रस्तुत अपील आपराधिक (अधिग्रहण) अपील संख्या 32/2003 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, साहिबगंज द्वारा जरिये आदेश दिनांकित 07.03.2005 खारिज कर दी गयी। अपीलकर्त्ताओं द्वारा एक रिट याचिका दायर की गयी, जिसे विवादित फैसले के तहत उक्त न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. अपीलार्थी की और से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.एल अग्रवाल ने अपील के समर्थन में तर्क दिया कि गेंहू एक अनियंत्रित वस्तु है और गेंहू के व्यापार या उसके कब्जे या परिवहन पर कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण विवादित निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता है।

4. राज्य की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.बी. सिन्हा ने इसके विपरीत तर्क दिया कि अपीलकर्त्ताओं ने एक उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 (संक्षेप में आदेश, 2001) के तहत नियुक्त किया गया था, को उकसाया है। ऐसे में विवादित आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

5. निर्विवाद रूप से माल और उसके परिवहन में प्रयुक्त वाहन या साधन का अधिग्रहण संपत्ति से वंचित करने के समान है। एक आवश्यक वस्तु अथवा उसको परिवहन करने वाले वाहन या साधन के अधिग्रहण की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन किया जाता है जब किसी वाहन का प्रयोग एक आवश्यक वस्तु के परिवहन के लिए किया जाता है तो उसे अभिग्रहित किया जा सकता है तथा अधिनियम की धारा 6ए(1)(सी) में अधिग्रहित करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। अतः अधिनियम की धारा 3 के तहत पारित आदेश का उल्लंघन किया जाना अधिग्रहण आदेश पारित करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। सन् 2001 का आदेश गेंहू या गेंहू के परिवहन के मामलों से संबंधित नहीं है।

6. सन् 2001 के आदेश के खण्ड 2(K) में "उचित मूल्य की दुकान को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि एक दुकान, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तु वितरित किए जाने हेतु अधिनियम की धारा 3 के तहत अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है। खण्ड 3 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के संबंधित है। खण्ड 4 में राशन कार्ड जारी करने के प्रावधान दिए गए हैं। खण्ड 5 निर्गम के पैमाने और निर्गम के मूल्य से संबंधित है। खण्ड 6 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार या उसके मनोनीत एजेंसीज को खाद्यान्न के वितरण की प्रक्रिया के प्रावधान दिए गए हैं। खंड 6(2) उचित

मूल्य की दुकान के मालिक को बाध्य करता है कि वह खाद्यान्न राज्य सरकार के मनोनीत प्राधिकारी से खाद्यान्न प्राप्त करे जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आवश्यक वस्तु उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध हो सके। खण्ड 6(4) सार्वजिनक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक वस्तु के वितरण एवं प्रबंधन में लगे प्राधिकारी या व्यक्ति को बाध्य करता है कि वे जानबूझकर केंद्रीय गोदामों से उचित मूल्य की दुकान पर या परिसर में स्टाॅक के प्रतिस्थापन या मिलावट या डायवर्जन या चोरी में शामिल नहीं होना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण डायवर्जन को परिभाषित करता है जिसके अनुसार डायवर्जन का अर्थ है आवश्यक वस्तु का राष्ट्रीय गोदाम से अप्राधिकृत मूमेंट या वितरण, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वांछित लाभकारियों तक नहीं पहुंचा है। आदेश के खण्ड 9 में दंड का प्रावधान है। वाहन की तलाशी का कोई प्रावधान नहीं है। तलाशी की शक्ति उचित मूल्य की दुकान या इसके लिए प्रासंगिक किसी भी परिसर तक सीमित है। ऐसे प्राधिकृत अधिकारी की शक्ति आदेश 2001 के खण्ड 10 (3) के तहत लेखा पुस्तकों या आवश्यक वस्तुओं के भण्डार की तलाशी लेने, अभिग्रहित करने या हटाने तक सीमित है, जहां ऐसे प्राधिकारी के पास यह मानने का कारण हो कि इनका उपयोग आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया है या किया जाएगा।

7. एक वैध अभिग्रहण, जैसा कि सर्वविदित है, संपत्ति के अधिग्रहण आदेश के लिए पारित आदेश के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

8. दुर्भाग्य से, मामले के इस पहलू पर किसी भी अधिकारी या अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया है। माननीय उच्च अदालत ने टिप्पणी की किः

> "विवादित आदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि जो गेंहू अभिग्रहित किए गए थे, वे एफ.सी.आई द्वारा विधिवत रूप से सिलवाए गए। एफ.सी.आई थैलों में रखे हुए पाए गए और वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को वितरित किए जाने के लिए थे लेकिन उन्हें याचिकर्त्ताओं द्वारा काला बाजारी के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाना पाया गया तथा तलाशी एवं अभिग्रहण के समय याचिकर्त्ताओं द्वारा उक्त गेंहू के कब्जे के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए।

9. क्या अधिग्रहण कार्यवाही के समय गेंहू रखने के लिए कोई वैध कागजात था अथवा नहीं यह इस प्रकरण के विषयवस्तु नहीं है। इस प्रकरण का विचारण केवल मात्र गेंहू के परिवहन में प्रयुक्त वाहन तक सीमित है। याचिकर्त्ताओं का उक्त गेंहू से कोई सरोकार नहीं है।

10. हमें इस मामले पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार करना होगा। इसके अलावा, अधिग्रहण का आदेश केवल इसलिए पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना वैध होगा। अधिकारियों को इस संबंध में एक

स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि अधिनियम की धारा 3 के तहत उल्लंघन किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों पर न तो उपायुक्त व सत्र न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है। मामला आपराधिक न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए मामले पर आगे विस्तार से विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए यह एक उपयुक्त मामला नहीं था जिसमें अधिग्रहण का आदेश पारित किया जा सकता था।

11. श्री सिंह द्वारा शम्भु दयाल अग्रवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य [1990] 3 एससीसी 549 का हवाला दिया गया है जो कि सुस्थापित सिद्घांत का उल्लेख करता है कि

> " 6. धारा 6ए अभिग्रहित की गई आवश्यक वस्तु, पैकेज, कवर और पात्र जिसमें आवश्यक वस्तु पाई गई थी और जानवर, वाहन या अन्य वाहन जिसमें ऐसी आवश्यक वस्तु ले जाया गया था, को अधिग्रहित करने का अधिकार देता है। शब्द "अधिग्रहण का आदेश दे सकते हैं"। यह दर्शाता है कि यह शक्ति विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है.....।

12. एक बार फिर, डिप्टी कमिश्नर, दक्षिण कन्नड़ जिला बनाम रूडोल्फ फर्नांडीस [2003] 3 एससीसी 306 में, जिस पर फिर से श्री सिंह ने निर्भर किया है, यह कहा गया थाः

"6 उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में, धारा 6ए [एसआईसी 6-ए (1)] के दूसरे परन्तुक पर विचार करना आवश्यक है। सबसे पहले यह कहा जाना आवश्यक है कि उक्त प्रावधान सक्षम प्राधिकारी की शक्ति को अधिग्रहित किए जाने वाले जानवर, वाहन, जहाज या अन्य वाहन को छोड़ने के लिए बाजार मूल्य तक का जुर्माना वसूल करने तक सीमित करता है। इसलिए अधिग्रहण के बदले में लगाया जा सकने वाला अधिकतम जुर्माना बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारे उद्देश्य के लिए, उक्त प्रावधान का प्रासंगिक हिस्सा यह होगा कि"...वाहन के मामले में, ऐसे....वाहन....के मालिक को उसकी अधिग्रहण के बदले

जुर्माना देने का विकल्प दिया जाएगा, न कि आवश्यक वस्तु की अधिग्रहण की तारीख पर बाजार मूल्य से अधिक होना, ऐसे वाहन द्वारा ले जाने की मांग की गयी। सवाल यह है कि क्या जुर्माना अभिग्रहित की गई आवश्यक वस्तु के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए या क्या यह वाहन के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि धारा में कुछ अस्पष्टता है। यह विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है कि वाहन को अधिग्रहित करने के बदले में मापदंड के रूप में अभिग्रहित आवश्यक वस्तु के बाजार मूल्य से अथवा वाहन के बाजार मूल्य से अधिक का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। फिर भी, यह कहना मुश्किल है कि जुर्माने का माप आवश्यक

वस्तु की अभिग्रहण की तारीख पर उसके बाजार मूल्य से संबंधित है। इसमें कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि जुर्माना आवश्यक वस्तु के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतुक के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को ऐसे वाहन के मालिक को अभिग्रहण के बदले में जुर्माना जो अभिग्रहण किए जाने वाले वाहन के बाजार मूल्य से अधिक न हो देने का विकल्प देने की आवश्यकता है और इसलिए, जुर्माने की राशि आवश्यक वस्तु के परिवहन में प्रयुक्त वाहन की अभिग्रहण की तिथि पर वाहन के बाजार मूल्य से संबंधित होगी।

13. हमारा इस प्रश्न से निपटने का इरादा नहीं है कि क्या मुकदमे के समापन पर, वाहन को अभिग्रहण करने का मामला पारित किया जा सकता है या नहीं, इस स्तर पर यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

14. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय बरकरार रखे जा सकते हैं, जिन्हें तदनुसार रद्द कर दिया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है।

बी.बी.बी.

अपील की अनुमति दी गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पूजा धानिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।